

राजस्व अपील संख्या 103/2022
अनवान
सोनाराम वगैरा बनाम तहसीलदार लोहावट

दिनांक 22 -03-2022

उक्त अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लोहावट द्वारा पारित आदेश क्रमांक/प्र.ग.स./2021/1129 दिनांक 20-12-2021 के विरुद्ध प्रस्तुत की है। उक्त अपील के साथ स्थगन प्रार्थना पत्र भी पेश किया गया है।

वकील अपीलांट श्री पूनाराम विश्नोई उपस्थित। अपीलांट अधिवक्ता की अपील के साथ प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 20-12-2021 एवं अपील के साथ प्रस्तुत अन्य दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं अध्ययन किया तथा अपीलांट अधिवक्ता द्वारा चाही गई इस्तदुआ पर मनन किया, अपीलान्ट अधिवक्ता का मुख्य कथन यह है कि अधीनस्थ न्यायालय ने हमे पक्षकार बनाये बिना, नोटिस दिये बिना तथा सुनवाई का अवसर दिये बिना अपीलाधीन आदेश के जरिये हमारी खातेदारी भूमि मे से रास्ता निकाल दिया जबकि विधि के प्रावधान अनुसार किसी भी खातेदार की खातेदारी भूमि बिना खातेदार की सहमति के तथा उसको सुने बिना खातेदारी भूमि का रकबा कम नही किया जा सकता है तथा यह भी कथन किया कि राज्य सरकार के रास्तो सम्बन्धी जारी परिपत्र मे भी सुनवाई का अवसर देने के निर्देश होते हुए भी अधीनस्थ न्यायालय ने जो अपीलाधीन आदेश पारित किया है, वह विधि एवं न्याय संगत नही है।

इस सम्बन्ध मे अपीलान्ट अधिवक्ता ने प्रथमतः अपीलाधीन आदेश की पालना एवं प्रभाव को रोके जाने का निवेदन किया तथा विकल्प मे यह भी कथन किया कि प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय मे हमे सुनवाई का अवसर देकर, मौके फर्द हमारी उपस्थिति मे तैयार की जाने हेतु प्रकरण रिमाण्ड करने का निवेदन किया।

लगातार - - - (2)



श्री. पूनाराम विश्नोई
वकील
खाते. धरमपारोच बाहुर
लोहावट

हमने अपीलान्त अधिवक्ता की बहस पर मनन किया तथा उक्त आदेश जो ग्राम जम्भेश्वर नगर तहसील लोहावट के संबंध में पारित किये गये आदेश क्रमांक 1129 दिनांक 20-12-2021 एवं पत्रावली के साथ प्रस्ताव पत्रादि का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं अध्ययन किया। जिसके अनुसार प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्त को सुनवाई का अवसर बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो समर्थन योग्य नहीं माना जा सकता है।



परिणामस्वरूप अपीलान्त की उक्त अपील आंशिक स्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लोहावट द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश क्रमांक/प्र.ग.स./2021/1129 दिनांक 20-12-2021 को निरस्त किये बिना इस आशय के अतिरिक्त निर्देश दिये जाते हैं कि अपीलान्त एवं हितबद्ध पक्षकारों को सुनवाई का नोटिस जारी कर, उसे सुनकर उसकी उपस्थिति में मौका निरीक्षण करे। उक्त कार्यवाही एक माह में सम्पादित करते हुए पक्षकारों के खातेदारी की भूमि में से रास्ते के सम्बंध में पुनः विधिसमत निर्णय पारित करे। तब तक अपीलाधीन आदेश में वर्णित अपीलान्त के खातेदारी ग्राम जम्भेश्वरनगर की भूमि पर किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं करे। इस अतिरिक्त निर्देश के साथ उक्त अपील का निस्तारण किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।
निर्णय आज खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।


बति. एम्भागाय मायुत
बोधपुर